

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/18, दिनांक : 02 जुलाई-2018,

--: आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह जुलाई-2018 में दिनांक 23.07.18, 24.07.18 व 25.07.18 तक के लिए मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की जाती है। गठित पीठ में मेरे साथ श्री मो0 इब्राहिम, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, इलाहाबाद एवं श्री डिप्टी कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराया जाये।

ह0- 02.07.18

(विकार अहमद अन्सारी)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/12.80/2018, तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम इलाहाबाद।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3लखनऊ।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,



निबन्धक, 02/07/2018

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।